

**माननीय भारत के उप-राष्ट्रपति श्री मो. हामिद अंसारी का 6 अप्रैल, 2011 को 1700 बजे बाबू
जगजीवन राम स्मृति व्याख्यान के अवसर पर सभागार हॉल, विज्ञान भवन, नई दिल्ली में
सम्बोधन।**

6 अप्रैल, 2011

नई दिल्ली

मुझे आज के समारोह में भाग लेने और बाबू जगजीवन राम स्मृति व्याख्यान देने पर अपार खुशी है। यह अवसर हमें बाबू जी के कार्य और उनके सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण को स्मरण करने में सहायता देता है। इनका सभी उपेक्षित और दलित समुदायों तथा लोक नीति-निर्माताओं पर भी प्रभाव पड़ता है।

पांच दशकों से अधिक समय के सार्वजनिक जीवन में, उन्होंने तीन दशकों से अधिक समय तक केन्द्रीय मंत्री परिषद के सदस्य और नये गणतंत्र के अनेक मंत्रालयों के उत्तरदायित्व का भार संभाला। इनमें से प्रत्येक में, उन्होंने नीति निर्माण और सेवा प्रदान करने में अमिट छाप छोड़ी थी। इनकी गांधीवादी दृष्टिकोण और राजनीति के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन लाने की संभावनाओं में आस्था थी। ये एक समर्पित संसदविद् थे उन्होंने संसदीय प्रजातंत्र की सर्वोत्कृष्ट परम्पराओं को बनाए रखा।

आज, हमें राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण के माध्यम से सामाजिक समावेशन लाने के बाबू जगजीवन राम के जीवन-पर्यन्त प्रयास और एक समावेशी समाज बनाने में उनके प्रयासों की सतत प्रासांगिकता को याद करने की आवश्यकता है।

1971 के युद्ध के दौरान, रक्षा मंत्री के रूप में बाबूजी की भूमिका सर्वविदित है, खाद्य और कृषि मंत्रालय में उनके सार्वजनिक जीवन के प्रसंशनीय पहलू को कम महत्व दिया गया है। उन्होंने ऐसे समय में प्रभार ग्रहण किया था जिस समय राष्ट्र सूखे का सामना कर रहा था और उन्होंने हरित क्रांति के माध्यम से मंत्रालय का संचालन किया था। उनकी राय थी कि “राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की समृद्धि, एक प्रकार से, स्वयं कृषि की वृद्धि है” और कि “एक तर्कसंगत रीति में कृषि का विकास, एक पर्याप्त सीमा तक, कमजोर वर्गों के लिए सामाजिक न्याय का संवर्धन है”।

कृषि में उनके पांच नीतिगत दृष्टिकोण महत्वपूर्ण और आज भी संगत हैं :-

प्रथम, वह ऐसे व्यक्तियों में से प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने यह महसूस किया था कि सार्वजनिक नीति में यह सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है कि नई और क्रांतिकारी प्रौद्योगिकियां सामाजिक अलगाव को प्रसारित अथवा और आगे नहीं बढ़ा सकती हैं। जगजीवन राम जी को यह आशंका

थी कि लघु और भूमिहीन किसानों के पास कृषिगत वस्तुओं, विशेषरूप से नये बीजों और उर्वरकों को खरीदने के लिए साधन नहीं होंगे, और इस प्रकार, नई प्रौद्योगिकी अपनाकर अपेक्षाकृत अधिक संसाधनों और भूमि जोत उत्पादों वाले "प्रमुख और मध्यम कृषकों की विशेषाधिकार प्राप्त अल्पसंख्या" के कारण और उपेक्षित होंगे। इसीलिए, उन्होंने लघु और सीमांत किसानों तथा भूमिहीन श्रमिकों के लिए ऋण सुविधाओं और वस्तुओं का प्रावधान आरंभ किया था।

द्वितीय, उन्होंने दिसम्बर, 1969 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 73वें सत्र के दौरान अपने अध्यक्षीय सम्बोधन में, इस बात पर गौर किया था कि आर्थिक सुधार के लिए प्रारंभ बिन्दु "कृषि और हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन" होना चाहिए। भूमि सुधारों पर विशेष बल देते हुए, उन्होंने मध्यस्थ काश्तकारी का उन्मूलन, जोतों पर सीलिंग, अतिरेक और सरकारी भूमि को भूमिहीन कृषि श्रमिकों के बीच वितरण" को तेज करने की मांग की थी। उन्होंने "ग्रामीण जीवन के पुनर्गठन" को सेवा सहकारियों, सहकारी खेती, बेहतर बीज, सिंचाई, उर्वरक, मूल्य स्थिरता, भंडारण और विपणन, पशु पालन, मुर्गी पालन और मत्यस्य पालन" के घटकों के रूप में रेखांकित किया था।

तृतीय, बाबूजी उन प्रथम नेताओं में से एक थे जिन्होंने मोटे अनाजों, दलहनों और तिलहनों की पैदावार सुधारने पर विशेष ध्यान दिया था। चावल और गेहूं की उच्च उपज देने वाली किस्मों द्वारा समाधान निकाला गया था, उन्होंने महसूस किया था कि हमारी सिंचित भूमि का तीन चौथाई क्षेत्र असिंचित रहता था। उन्होंने वर्षा सिंचित क्षेत्रों में जलाशय विकास को बढ़ावा दिया था और वैज्ञानिकों से सूखारोधी फसलों पर अनुसंधान करने के लिए कहा था।

चौथा, उन्होंने हमारे समाज के गरीब और उपेक्षित तबकों के प्रति सार्वजनिक नीति के एक आवश्यक घटक के रूप में खाद्य सुरक्षा पर जोर दिया था। उन्होंने सदैव इस बात का प्रयास किया था कि "खाद्यानों का दलगत नीति से ऊपर उठकर एक राष्ट्रीय समस्या के रूप में समाधान किया जाना चाहिए।" वे खाद्यानों के सार्वजनिक वितरण को खाद्य प्रबंधन के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप मानते थे और उन्होंने घरेलू खरीद और बफर स्टॉक बनाने पर बल दिया था।

पंचम, उन्होंने कृषि अनुसंधान और शिक्षा को एक उच्च प्राथमिकता क्षेत्र बनाया था। उन्होंने नई अनुसंधान संस्थाएं स्थापित की, कृषि वैज्ञानिकों के लिए व्यावसायिक उन्नति और प्रोत्साहनों को सरल और कारगर बनाया, कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना करने में मदद की और किसानों और आधुनिक अनुसंधान विशेषज्ञता के अनुभव के आधार पर परम्परागत ज्ञान के बीच सामंजस्य बढ़ाने के बारे में नीति बनाने का निदेश दिया था।

देवियों और सज्जनों

बाबू जी का जीवन सामाजिक और आर्थिक संरचना में अवसर की समानता के एकल सोच प्रयास का एक व्यावहारिक उदाहरण है। उनका विश्वास था कि प्रजातंत्र और जाति प्रथा साथ-साथ नहीं चल सकते और यह प्रजातंत्र की कार्य प्रणाली और संवैधानिक मूल्यों के अनुकरण के माध्यम से समाज को रूपातंत्रित करने का एक सच्चा प्रयास हो सकता है। एक अवसर पर दलित वर्गों को सम्बोधित करते हुए, उन्होंने उनसे अनुरोध किया था "कि एक सामाजिक रूप से अंतर-निर्भर समाज के लिए संघर्ष जो इस प्रकार परिवर्तित और क्रान्तिकारी होगा कि वे अधिकारों और दायित्वों की समानता के आधार पर इसमें भागीदार हो सकें"।

सामाजिक न्याय और सामाजिक समावेशन का संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है। स्वतंत्रता के उपरांत, हमारी महत्वपूर्ण उपलब्धियों को और सुदृढ़ किये जाने की आवश्यकता है और सरकार और समाज के सामूहिक प्रयास हमारे उन नागरिकों तक पहुंचने चाहिए जो उपेक्षा और अलगाव के शिकार होते रहे हैं। ऐसे प्रयासों को दकियानूसी सोच और कार्य के प्रतिमानों अथवा अलग करने अथवा अलग रहने के प्रयासों द्वारा कम नहीं किया जाना चाहिए। इसके विपरीत, सकारात्मक कार्रवाई की हमारी रणनीतियों को और आगे आशोधित किये जाने की आवश्यकता है ताकि उन सभी तक पहुंचा जा सके जिन्हें सामाजिक अथवा आर्थिक उन्नति की आवश्यकता है।

सामाजिक समस्याएं स्थान और समर्थ के साथ बन्द नहीं हो सकती और एक परिपक्व और प्रजातांत्रिक तंत्र उन्हें तर्कसंगत रूप से सुलझाता है। मैं सार्वजनिक जीवन के कुछ ऐसे मसलों पर ध्यान आकर्षिक करना चाहूंगा जो हमारे समाज के कुछ उपेक्षित वर्गों से संबंधित हैं।

प्रथम, हाथ से मैला साफ करने की प्रथा का उन्मूलन सरकार के लिए प्राथमिकता का एक क्षेत्र है। हाथ से मैला साफ करने वालों का नियोजन और शुष्क शौचालय सन्निर्माण (निषेध) अधिनियम, 1993 हाथ से मैला साफ करने वालों का नियोजन तथा शुष्क शौचालयों का निर्माण जारी रखने का निषेध करता है। शुष्क शौचालयों का जलवाहित शौचालयों में रूपान्तरण तथा हाथ से मैला साफ करने वाले व्यक्तियों और उनके आश्रितों के वैकल्पिक व्यवसायों में पुनर्वास की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं, फिर भी समस्त देश में हाथ से मैला साफ करने की प्रथा का पूर्ण रूप से उन्मूलन करने के लिए और अधिक कार्य किए जाने की आवश्यकता है।

द्वितीय, राष्ट्रीय धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यक आयोग ने उन अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों से संबंधित कुछ अनुशंसाएं की हैं जिन्होंने अन्य धर्म अपना लिए हैं। यह मुद्दा सार्वजनिक क्षेत्र का है तथा इस पर इसके संवैधानिक, विधिक, राजनीतिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्यों के संदर्भ में बहस किया जाना आवश्यक है।

तृतीय, न्यायमूर्ति उषा मेहरा की अध्यक्षता में आंग्ने प्रदेश में अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण की जांच करने के लिए राष्ट्रीय आयोग ने कतिपय अनुशसाएं की हैं। इन पर भी सार्वजनिक बहस की जानी चाहिए।

मित्र

बाबू जी का जीवन, उनके विजन और उनके कार्यों ने अनेक नागरिकों को प्रेरित किया है। दुर्भाग्यवश, इतिहासकारों और नागरिकों के पास भी बाबूजी के बारे में विस्तृत रूप से लिखने के लिए समय नहीं था। इसलिए, उनके भाषणों, कथनों और अन्य पत्राचार को प्रकाशित करने की महत्ता, महत्वपूर्ण नीतिगत और सामाजिक मसलों पर उनके दिमाग और विचारों में गहराई से ज्ञाकां जा सकता है। मैं आशा करता हूं कि बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान इस कार्य को पूरा करेगा और श्री जगजीवन राम के जीवन और मूल्यों जिनके वे प्रतीक थे एक और अधिक व्यवस्थित अध्ययन और विश्लेषण करने में सक्षम होगा।

मैं, मुकुल वासनिक जी को आज यह व्याख्यान देने हेतु मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद देता हूँ।
